[2018] 1 एस. सी. आर. 1063

ए.

सूरत सिंह (मृत) बनाम।

सिरी भगवान और ओआरएस।

(सिविल अपील संख्या 2010 की 9118-9119) 19 फरवरी, 2018

बी.

[आर**.** के**.** अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:एस. 100-दूसरी अपील-कानून का पर्याप्त प्रश्न-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को केवल दूसरी अपील के अपीलार्थी को सुनने के बाद और प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या 4 को नहीं सुनने के बाद अनुमति दी, जिसने यू/एस के तहत आवेदन दायर किया था।151 आर/डब्ल्यू या। एलएक्सआई,आर. 21 सी. पी. सी. सुनवाई के अवसर के लिए प्रार्थना कर रहा है-उच्च न्यायालय ने धारा 100 की उप-धारा (4) के अनुसार अपील को स्वीकार करते समय कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाया, हालांकि यह लंबे समय तक लंबित रहा-दूसरी अपील को अनुमति देने के लिए आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय-की स्थिरता-में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया:टिकाऊ नहीं-उच्च न्यायालय यू/एस द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा।100 दूसरी अपील को स्वीकार करते हुए और इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए एक क्षेत्राधिकार त्रुटि की-उच्च न्यायालय ने एक अंतिम निर्णय पारित करते हुए पहली बार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया और साथ ही साथ अपीलार्थी के पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्तर दिया-उच्च न्यायालय अपीलार्थी या/और उसके अधिवक्ता को धाराओं की उप-धारा (4) के तहत सुनने के बाद अपील को स्वीकार करते समय महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था।100 – उच्च न्यायालय के पास अपील में अपने अंतिम निर्णय के लेखन के समय सारवान प्रश्न तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, सिवाय इसके कि उप-धारा (5) के तहत अनुमति दी गई सीमा तक-उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भी प्रत्यर्थीगणओं के लिए पूर्वाग्रह पैदा हुआ क्योंकि प्रत्यर्थीगण कानून के सारवान प्रश्न के निर्माण पर आपत्ति नहीं कर सकते थे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** जब प्रत्यर्थी संख्या **4 (**अपीलार्थी**)** ने सुनवाई के अवसर के लिए अनुरोध करते हुए संहिता के आदेश एल**.** एक्स**.** आई**.** नियम **21** के साथ पठित धारा **151** के तहत एक आवेदन दायर किया**,** तो उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने गलती की

एच.

1063 ए.

1064 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एस. सी. आर.

केवल दूसरी अपील के अपीलार्थी को सुनने के बाद और प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी संख्या **4 (**अपीलार्थी**)** को नहीं सुनने के बाद दूसरी अपील का निर्णय लेना और दूसरी अपील की पुनः सुनवाई के लिए आदेश एल**.** एक्स**.** आई**.** नियम **21** सी**.** पी**.** सी**.** के साथ पठित धारा **151** के तहत दायर अपने आवेदन को खारिज करने में भी गलती की।**[**पारस **12-14] [1070-D-F]**

बी.

1.2 मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आगे उन आधारों के प्रकाश में जिन पर अपील की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन स्थापित किया गया था**,** उच्च न्यायालय को दूसरी अपील का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या **4** को सुनवाई का एक अवसर देना चाहिए था और उस उद्देश्य के लिए कानून के अनुसार गुण**-**दोष के आधार पर इसकी पुनः सुनवाई के लिए दूसरी अपील को बहाल करना चाहिए था।यह न्यायालय उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकता है जिसमें उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर दूसरी अपील का फैसला किया था।**[**पारस **15,16] [1070-**जी**-**एच**]**

सी.

1.3 उच्च न्यायालय ने धारा **100** की उप**-**धारा **(4)** के अनुसार अपील को स्वीकार करते हुए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाया**,** हालांकि यह लंबे समय तक लंबित रहा। हालाँकि**,** उच्च न्यायालय दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा और ऐसा करते हुए विवादित निर्णय के समापन पैरा में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया।दूसरी अपील की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका और प्रक्रिया धारा **100** में निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है।**[**पारस **18,19] [1071-**बी**-**ई**]**

डी.

ई.

1.4 धारा **100** की उप-धारा **(1)** में कहा गया है कि दूसरी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय "संतुष्ट" हो कि मामले में "कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न" शामिल है।उप-धारा **(3)** अपीलार्थी पर यह अनिवार्य बनाती है कि वह अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" को सटीक रूप से बताए। उप-धारा **(4)** में प्रावधान है कि जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।दूसरे शब्दों में, एक बार जब उच्च न्यायालय अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता, जैसा भी मामला हो, को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे उस प्रश्न को तैयार करना होता है और फिर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न के साथ अपील के ज्ञापन के प्रत्यर्थी को सीधे नोटिस जारी करना होता है।

एफ.

जी.

एच.

1065

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और ओआरएस।

ए.

उप-धारा **(5)** में प्रावधान है कि अपील की सुनवाई केवल उप-धारा **(4)** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी।दूसरे शब्दों में, दूसरी अपील पर निर्णय लेने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल उप-धारा **(4)** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न तक ही सीमित है।तथापि, अपील की सुनवाई के समय प्रत्यर्थी को उप-धारा **(5)** के तहत यह आपत्ति उठाने का अधिकार दिया जाता है कि उप-धारा **(4)** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया प्रश्न अपील में शामिल नहीं है।सुनवाई के समय इस तरह की आपत्ति उठाने के लिए प्रत्यर्थी को यह अधिकार देने का कारण यह है कि उच्च न्यायालय प्रश्न को प्रवेश स्तर पर तैयार करता है जो प्रत्यर्थी को अपील की सूचना जारी करने से पहले होता है।दूसरे शब्दों में, प्रश्न प्रत्यर्थी की पीठ के पीछे तैयार किया गया है और इसलिए, उप-धारा **(5)** उसे सुनवाई के समय ऐसी आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि तैयार किया गया प्रश्न अपील में उत्पन्न न हो।हालाँकि, उप-धारा **(5)** का परंतुक, विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को भी मान्यता देता है, जिसे शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा उप-धारा **(4)** के तहत तैयार नहीं किया गया था।हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई के समय कानून के ऐसे अतिरिक्त प्रश्न को तैयार करने के लिए कारण निर्धारित करने के बाद ही किया जा सकता है।**[पैरा 21] [1072-सी-एच]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.5 तथ्यों पर**,** यह नहीं समझा जा सकता है कि उच्च न्यायालय अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते हुए पहली बार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे तैयार कर सकता है और साथ ही साथ अपीलार्थी के पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है।जाहिर है**,** न्यायाधीश ने संहिता की धारा **100** की उप**-**धारा **(4)** का सहारा लेकर ऐसा किया होगा।उच्च न्यायालय संहिता की धारा **100** की उप**-**धारा **(4)** के तहत अपीलार्थी या**/**और उसके अधिवक्ता को सुनने के बाद अपील स्वीकार करने के समय महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए एक कानूनी दायित्व के तहत था**,** लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते हुए ऐसा किया।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई ऐसी नवीन प्रक्रिया**,** संहिता की धारा **100** की योजना के पूरी तरह से विपरीत है और विवादित निर्णय को कानूनी रूप से अस्थिर बनाती है।**[**पारस **22-24] [1073-A-C]**

एफ.

जी.

1.6 उच्च न्यायालय के पास अपना अंतिम निर्णय लिखते समय महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

एच.

1066 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एस. सी. आर.

ए.

उप**-**धारा **(5)** के अधीन अनुज्ञात सीमा को छोड़कर अपील।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया**,** संहिता की धारा **100** की योजना के खिलाफ होने के अलावा**,** प्रत्यर्थीगणओं के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने में भी परिणित हुई क्योंकि प्रत्यर्थीगण कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने पर आपत्ति नहीं कर सकते थे।चूंकि उच्च न्यायालय अपील स्वीकार करने के समय धारा **100** की उप**-**धारा **(4)** के तहत कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने में विफल रहा**,** इसलिए प्रत्यर्थीगण को यह पता नहीं चल सका कि कानून के किस प्रश्न पर अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।यह विवादित नहीं हो सकता है कि उप**-**धारा **(5)** प्रत्यर्थीगण को यह जानने का अधिकार देती है कि कानून के किस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।उप**-**धारा **(5)** प्रत्यर्थीगणओं को अंतिम सुनवाई के समय यह आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि

अपीलार्थी के कहने पर बनाई गई विधि का प्रश्न वास्तव में मामले में उत्पन्न नहीं होता है। **[**पारस **25-27] [1073-D-G]**

बी.

सी.

1.7 प्रत्यर्थीगणओं को केवल उप**-**धारा **(4)** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर दूसरी अपील का विरोध करते हुए जवाब देने की आवश्यकता होती है और उससे आगे नहीं।यदि प्रवेश के समय या अपील की अंतिम सुनवाई से पहले उप**-**धारा **(4)** के तहत कानून का प्रश्न तैयार नहीं किया जाता है**,** तो सुनवाई के समय दूसरी अपील का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी के पास कुछ भी नहीं रहता है।इस स्थिति में**,** उच्च न्यायालय के पास कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के अभाव में अंततः ऐसी दूसरी अपील पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।**[**पैरा **28] [1073-**एच**; 1074-**ए**]**

डी.

ई.

1.8 धारा **100** की योजना यह है कि एक बार जब उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है**,** तो ऐसे प्रश्न को धारा **100** की उप**-**धारा **(4)** के तहत तैयार करना होगा।यह प्रश्न का प्रारूपण है जो उच्च न्यायालय को उप**-**धारा **(5)** के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है।इसलिए**,** उप**-**धारा **(4)** और **(5)** में निर्धारित दोनों अपेक्षाएं अनिवार्य हैं और उनका पालन उसमें निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए।वास्तव में**,** दूसरी अपील पर निर्णय लेने की अधिकारिता अंततः उप**-**धारा **(4)** के तहत कानून के सारवान प्रश्न के तैयार होने के बाद ही उत्पन्न होती है।एक मामला हो सकता है और वास्तव में ऐसे मामले हैं जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद भी**,** अपीलार्थी के खिलाफ इसका जवाब दिया जा सकता है।हालाँकि**,** यह केवल ए किया जाता है

एफ.

जी.

एच.

उप**-**धारा **(5)** के तहत प्रत्यर्थीगणओं को सुनने के बाद।तथापि**,** यदि उच्च न्यायालय अपीलार्थी को स्वीकार करते समय सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का

कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो ऐसी अपील बर्खास्तगी आदेश में यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि अपील में उप-धारा **(4)** के अर्थ के भीतर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, प्रत्यर्थीगण को बिना किसी सूचना के सीमित रूप से खारिज की जा सकती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आदेश को सीमित रूप से पारित करने के लिए, उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण निर्धारित करने की आवश्यकता है।हालाँकि, इसका कोई महत्व नहीं है कि प्रत्यर्थी अपील की अंतिम सुनवाई के समय उपस्थित हुआ है या नहीं।उच्च न्यायालय को, किसी भी मामले में, अपील का निपटान करते समय धारा **100** के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होता है, चाहे वह सीमित रूप से हो या अंतिम सुनवाई के चरण में।**[**पारस **29-31] [1074-B-F]**

बी.

सी.

1.9 यह व्याख्या के नियम का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब भी किसी क़ानून में किसी विशेष कार्य को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है तो ऐसा कार्य केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।उक्त सिद्धांत तत्काल मामले पर लागू होता है क्योंकि, उच्च न्यायालय दूसरी अपील को अनुमति देते हुए धारा **100** के तहत निर्धारित प्रक्रिया को रद्द करने में विफल रहा और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए एक क्षेत्राधिकार त्रुटि की।**[**अनुच्छेद **32-33] [1074-G-H; 1075-A] 1.10** विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह धारा **100** सी**.** पी**.** सी**.** की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।जिस तरह से दूसरी अपील का फैसला किया गया था, उस तरह से देखी गई कमजोरी के कारण मामले को रिमांड पर लिया गया है।**[**पैरा **36,37,38] [1075-**डी-एफ**]**

डी.

ई.

एफ.

बारू राम बनाम परसन्नी **(**श्रीमती**)** ए**.** आई**.** आर **1959** एस**.** सी **93:**

[1959] पूरक।एससीआर 1403; संतोष हजारी बनाम.

जी.

एल. आर. द्वारा पुरुषोत्तम तिवारी (मृत)।, (2001) 3 एससीसी

179 :[2001] 1 एस**.** सी**.** आर**. 948-**संदर्भित।

जी. पी. सिंह द्वारा कानूनों की व्याख्या, IXth Edn।

पी **347-**संदर्भित।

एच.

1068 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एस. सी. आर.

ए.

मामला कानून संदर्भ

[1959] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1403** संदर्भित

पैरा **32**

(2001) 3 एस**.** सी**.** सी**. 17 9** पैरा **34** में संदर्भित है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2010 की सिविल अपील सं. 9118-9119।

बी.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.12.2006 और 22.01.2007 के निर्णय और आदेशों से।1992 की सिविल नियमित दूसरी अपील संख्या 382 और सिविल विविध में।1992 की नियमित दूसरी अपील संख्या 382 में 2007 की संख्या 448-सी।

सी.

विभूति सुशांत गुप्ता, नीरज उपाध्याय, डॉ. कैलाश चंद, अपीलार्थी के वकील।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ओ. पी. भदानी, एस. एस. पांडे, ए. के. सुमन, प्रत्यर्थीगणओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.इन अपीलों को निर्देशित किया जाता है

1992 की सिविल नियमित दूसरी अपील में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक आई. डी. 5 के खिलाफ, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को अनुमति दी, 1984 की सिविल अपील संख्या आई. डी. 3 में जिला न्यायाधीश नारनौल के दिनांक आई. डी. 4 के फैसले को दरकिनार कर दिया और 1981 के सिविल सूट संख्या 315 में ट्रायल कोर्ट के दिनांक आई. डी. 2 के फैसले को उलट दिया।दिनांक 22.01.2007 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दिनांक

13.12.2006 के फैसले को याद करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन (आर. एस. ए. No.382/1992 में 2007 का सी. एम. No.448-C) को भी खारिज कर दिया।

ई.

एफ.

2. अपीलों में शामिल छोटे मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. एक मूर्ति देवी (मृत) और उनकी बेटी श्रीमती। भोली देवी ने उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, रेवाड़ी की अदालत में एक सिरी भगवान (प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि महेंद्रगढ़ जिले की तहसील रेवाड़ी के गाँव आलमपुर में स्थित 37 कनाल 14 मरला की भूमि के संबंध में सिविल मुक़दमा संख्या 638/1980 में मूर्ति देवी के खिलाफ सिरी भगवान द्वारा प्राप्त डिक्री को अमान्य घोषित किया जाए और वादी पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया जाए क्योंकि यह प्रतिवादी No.1-Siri भगवान द्वारा वादी-मूर्ति देवी पर धोखाधड़ी और गलत प्रतिनिधित्व करके प्राप्त किया गया था।

जी.

एच.

1069

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

उसकी निरक्षरता और गरीबी का लाभ।प्रतिवादी No.1-Siri भगवान ने मुकदमे का विरोध किया।

4. ट्रायल कोर्ट ने 1981 के सी. एस. No.315 में दिनांकित 16.05.1984 के फैसले/डिक्री द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया।पीड़ित महसूस करते हुए, वादी-मूर्ति देवी ने जिला न्यायाधीश के समक्ष पहली अपील (1984 का सी. ए. No.83) दायर की।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.11.1986 के निर्णय/डिक्री द्वारा अपील की अनुमति दी, ट्रायल कोर्ट के फैसले/डिक्री को दरकिनार कर दिया और वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया।

बी.

5. पीड़ित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1-सिरी भगवान ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 100 के तहत दूसरी अपील दायर की, जिसमें से ये अपीलें उठती हैं।दूसरी अपील के

लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता सूरत सिंह ने मूर्ति देवी से मुकदमे की जमीन खरीदी, जो 30.07.1988 दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से Rs.80,000/- के लिए थी।

सी.

6. अपीलार्थी-सूरत सिंह ने तब संहिता के आदेश 22 नियम 10 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें दूसरी अपील में मूल वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से वाद भूमि के बाद के खरीदार के रूप में एक पक्षकार प्रत्यर्थी बनने का अनुरोध किया गया था।

डी.

7. दिनांक 1 के आदेश द्वारा, सूरत सिंह के आवेदन को अनुमति दी गई और उन्हें दूसरी अपील में पक्ष-प्रतिवादी बनने की अनुमति दी गई।इस बीच, मूर्ति देवी का निधन हो गया। चूँकि मूर्ति देवी की एक बेटी पहले से ही वादी संख्या 2 के रूप में दर्ज थी और दूसरी बेटी प्रोफॉर्मा प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में दर्ज थी, इसलिए अपील में शामिल लिस ने जारी रखा।

ई.

एफ.

8. दिनांक 13.12.2006 के विवादित फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया, पहले अपीलीय न्यायालय के फैसले/डिक्री को दरकिनार कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मूर्ति देवी और उनकी बेटी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया।चूंकि दिनांक 13.12.2006 का विवादित निर्णय यहाँ अपीलार्थी (उच्च न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4) को सुने बिना पारित किया गया था, इसलिए उन्होंने दिनांकित 13.12.2006 के फैसले को याद करने के लिए संहिता के आदेश 21 नियम 21 के साथ पठित धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया।22.01.2007 दिनांकित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया।दिनांक 13.12.2006 और 22.01.2007 दोनों के निर्णय/आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इन अपीलों को इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से दायर किया है।

जी.

एच.

9. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1-सिरी भगवान (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर दूसरी अपील को स्वीकार करने में उचित था और इस प्रकार वादी के मुकदमे को खारिज करने में उचित था।

बी.

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने, विवादित फैसले को दरकिनार करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजने के लिए विवश हैं।11. मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के एक से अधिक कारण हैं जैसा कि नीचे दिया गया है।

सी.

12. सबसे पहले, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर दूसरी अपील को उसके समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 4 यानी (इसमें अपीलकर्ता) को सुने बिना स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने केवल दूसरी अपील के अपीलार्थी को सुनने के बाद दूसरी अपील की अनुमति दी, न कि दूसरी अपील के प्रत्यर्थी संख्या 4 को, जो सुनवाई के समय अनुपस्थित थे।

डी.

13. जब प्रत्यर्थी संख्या 4 (यहाँ अपीलकर्ता) ने सुनवाई के अवसर के लिए प्रार्थना करते हुए संहिता के आदेश 41 नियम 21 के साथ पठित धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया, तो उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।

ई.

प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीणप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी:प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीठप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी5 प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थी

एफ.

15. मामले में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आगे उन आधारों के प्रकाश में जिन पर अपील की पुनः सुनवाई के लिए आवेदन स्थापित किया गया था, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 को सुनवाई का एक अवसर देना चाहिए था और उस उद्देश्य के लिए कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर इसकी पुनः सुनवाई के लिए दूसरी अपील को बहाल करना चाहिए था।

जी.

16. दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण, यह न्यायालय उस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकता है जिसमें उच्च न्यायालय ने योग्यता के आधार पर दूसरी अपील का फैसला किया था।

एच.

1071

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

ए.

17. हम पाते हैं कि पहले अपीलीय न्यायालय का निर्णय, जिसे दूसरी अपील में आक्षेपित किया गया था, 13.11.1986 पर दिया गया था, जबकि दूसरी अपील 1992 में दर्ज की गई थी (S. A. No.382/92) और आक्षेपित निर्णय 13.12.2006 पर दिया गया था।

18. उच्च न्यायालय ने धारा 100 की उप-धारा (4) के अनुसार अपील को स्वीकार करते हुए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाया, हालांकि यह लंबे समय तक लंबित रहा।हालाँकि, उच्च न्यायालय दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा और ऐसा करते हुए विवादित निर्णय के समापन पैरा में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया।यह नीचे लिखा है:

बी.

“इसलिए**,** कानून का महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या किसी भी अभिवचन के अभाव में सहमति डिक्री के आधार पर हस्तांतरण को उपहार के रूप में वर्णित करने वाले विद्वान निचली अपीलीय अदालत का निष्कर्ष विकृत था या नहीं**?**कानून के सवाल का जवाब पूर्ववर्ती चर्चा में दिया गया है।

सी.

डी.

इसे ध्यान में रखते हुए**,** अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान निचली अपीलीय अदालत के दिनांक **13.11.1986** के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।**”**

19. हमारी सुविचारित राय में, दूसरी अपील की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका और प्रक्रिया धारा 100 में निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है।

ई.

20. संहिता की धारा 100 निम्नानुसार हैः

“100. दूसरी अपील।**- (1)** इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर**,** उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी**,** यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।**(2)** इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।**(3)** इस धारा के तहत एक अपील में**,** अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।**(4)** जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है**,** वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।**(5)** इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी।

एफ.

जी.

एच.

और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैःबशर्ते कि इस उप**-**धारा की कोई भी बात**,** उसके द्वारा बनाए गए

कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की अदालत की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

बी.

21.धारा 100 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि दूसरी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय "संतुष्ट" हो कि मामले में "कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न" शामिल है।उप-धारा (3) अपीलार्थी पर यह अनिवार्य बनाती है कि वह अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" को सटीक रूप से बताए। उप-धारा (4) में प्रावधान है कि जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।दूसरे शब्दों में, एक बार जब उच्च न्यायालय अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता, जैसा भी मामला हो, को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे उस प्रश्न को तैयार करना होता है और फिर उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न के साथ अपील के ज्ञापन के प्रत्यर्थी को सीधे नोटिस जारी करना होता है।उप-धारा (5) में प्रावधान है कि अपील की सुनवाई केवल उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी।दूसरे शब्दों में, दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता केवल उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रश्न तक ही सीमित है।तथापि, अपील की सुनवाई के समय प्रत्यर्थी को उप-धारा (5) के तहत यह आपत्ति उठाने का अधिकार दिया जाता है कि उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया प्रश्न अपील में शामिल नहीं है।सुनवाई के समय इस तरह की आपत्ति उठाने के लिए प्रत्यर्थी को यह अधिकार देने का कारण यह है कि उच्च न्यायालय प्रश्न को प्रवेश स्तर पर तैयार करता है जो प्रत्यर्थी को अपील की सूचना जारी करने से पहले होता है।दूसरे शब्दों में, प्रश्न प्रत्यर्थी की पीठ के पीछे तैयार किया गया है और इसलिए, उप-धारा (5) उसे सुनवाई के समय ऐसी आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि तैयार किया गया प्रश्न अपील में उत्पन्न न हो।हालाँकि, उप-धारा (5) का परंतुक, विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को भी मान्यता देता है, जिसे शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा उप-धारा (4) के तहत तैयार नहीं किया गया था।हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई के समय कानून के ऐसे अतिरिक्त प्रश्न को तैयार करने के लिए कारण निर्धारित करने के बाद ही किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1073

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।] ए.

ए.

22. इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम यह समझने से चूक गए हैं कि कैसे उच्च न्यायालय अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते हुए पहली बार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार कर सकता है और साथ ही साथ अपीलार्थी के पक्ष में उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है।जाहिर है, विद्वान न्यायाधीश ने संहिता की धारा 100 की उप-धारा (4) का सहारा लेकर ऐसा किया होगा।

बी.

23. यह वह मामला है जिसमें उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत अपीलार्थी या/और उसके अधिवक्ता को सुनने के बाद अपील स्वीकार करने के समय महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने समापन पैरा में अंतिम निर्णय पारित करते समय ऐसा किया।

सी.

24. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई ऐसी नवीन प्रक्रिया, हमारी सुविचारित राय में, संहिता की धारा 100 की योजना के पूरी तरह से विपरीत है और विवादित निर्णय को कानूनी रूप से अस्थिर बनाती है।25. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय के पास उप-धारा (5) के तहत अनुमत सीमा को छोड़कर अपील में अपना अंतिम निर्णय लिखते समय सारवान प्रश्न तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, संहिता की धारा 100 की योजना के खिलाफ होने के अलावा, प्रत्यर्थीगणओं के लिए पूर्वाग्रह पैदा करने में भी परिणित हुई क्योंकि प्रत्यर्थीगण कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने पर आपत्ति नहीं कर सकते थे।वास्तव में, प्रत्यर्थीगण को यह पता नहीं चल सका कि कानून के किस प्रश्न पर, अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।

डी.

ई.

26. दूसरे शब्दों में, चूंकि उच्च न्यायालय अपील को स्वीकार करते समय धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने में विफल रहा, इसलिए प्रत्यर्थीगण को यह पता नहीं चल सका कि कानून के किस प्रश्न पर अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।

एफ.

27. यह विवादित नहीं हो सकता है कि उप-धारा (5) प्रत्यर्थीगण को यह जानने का अधिकार देती है कि कानून के किस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था।उप-धारा (5) प्रत्यर्थीगणओं को अंतिम सुनवाई के समय यह आपत्ति उठाने में सक्षम बनाती है कि अपीलार्थी के कहने पर बनाई गई विधि का प्रश्न वास्तव में मामले में उत्पन्न नहीं होता है।28. फिर भी, दूसरा कारण यह है कि प्रत्यर्थीगणओं को केवल उप-धारा (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर दूसरी अपील का विरोध करते हुए जवाब देने की आवश्यकता होती है और उससे आगे नहीं।यदि कानून का प्रश्न प्रवेश के समय उप-धारा (4) के तहत तैयार नहीं किया गया है या

जी.

एच.

अपील की अंतिम सुनवाई से पहले, सुनवाई के समय दूसरी अपील का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी के पास कुछ भी नहीं रहता है।इस स्थिति में, उच्च न्यायालय के पास कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न (प्रश्नों) के अभाव में अंततः ऐसी दूसरी अपील पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

29. धारा 100 की योजना यह है कि एक बार जब उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो ऐसे प्रश्न को धारा 100 की उप-धारा (4) के तहत तैयार करना होगा।यह प्रश्न का प्रारूपण है जो उच्च न्यायालय को उप-धारा (5) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसलिए, उप-धारा (4) और (5) में निर्धारित दोनों अपेक्षाएं अनिवार्य हैं और उनका पालन उसमें निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए।वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरी अपील पर निर्णय लेने की अधिकारिता अंततः उप-धारा (4) के तहत कानून के सारवान प्रश्न के तैयार होने के बाद ही उत्पन्न होती है।एक मामला हो सकता है और वास्तव में ऐसे मामले हैं जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद भी, अपीलार्थी के खिलाफ इसका जवाब दिया जा सकता है।हालाँकि, यह उप-धारा (5) के तहत प्रत्यर्थीगणओं को सुनने के बाद ही किया जाता है।

बी.

सी.

डी.

30. तथापि, यदि उच्च न्यायालय अपीलार्थी को स्वीकार करते समय सुनने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो ऐसी अपील बर्खास्तगी आदेश में यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि अपील में उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, प्रत्यर्थीगण को बिना किसी सूचना के सीमित रूप से खारिज की जा सकती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आदेश को सीमित रूप से पारित करने के लिए, उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण निर्धारित करने की आवश्यकता है।

ई.

31. हालाँकि, इसका कोई महत्व नहीं है कि प्रत्यर्थी अपील की अंतिम सुनवाई के समय उपस्थित हुआ है या नहीं।उच्च न्यायालय को, किसी भी मामले में, अपील का निपटान करते समय धारा 100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होता है, चाहे वह सीमित रूप से हो या अंतिम सुनवाई के चरण में।

एफ.

32. यह व्याख्या के नियम का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब भी किसी क़ानून में किसी विशेष कार्य को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है तो ऐसा कार्य केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।

जी.

(देखें-जी. पी. सिंह द्वारा कानूनों की व्याख्या, नौवां संस्करण पृष्ठ 347 और बारू राम बनाम। परसन्नी (श्रीमती), ए. आई. आर 1959 एस. सी. 93)।

33. उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू होता है क्योंकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय प्रक्रिया ए का पालन करने में विफल रहा

एच.

1075

सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और ओआरएस। [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

दूसरी अपील की अनुमति देते हुए संहिता की धारा 100 के तहत निर्धारित किया गया और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए एक क्षेत्राधिकार त्रुटि की गई।

34. धारा **100** का अर्थ लगाते हुए**,** संतोष के मामले में यह न्यायालय

हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (मृत) एल. आर. द्वारा, (2001) 3 एस. सी. सी.

179 संहिता की धारा 100 के तहत कानून के दायरे, अधिकार क्षेत्र और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षेप में समझाया गया है।

बी.

35. इसलिए, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्रश्न तैयार करते समय और दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय संतोष हजारी (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को हमेशा ध्यान में रखे।

सी.

36. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हम उस विवादित निर्णय को कायम नहीं रख सकते हैं जो, हमारे विचार में, संहिता की धारा 100 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और इसलिए इस अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

37. इस प्रकार अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।तदनुसार उन्हें अनुमति दी जाती है। विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।योग्यता के आधार पर दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।उच्च न्यायालय अब अपीलार्थी को सुनने के बाद कानून के उचित ठोस प्रश्न (ओं) तैयार करेगा और यदि उसे लगता है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न (ओं) उत्पन्न होता है, तो वह ऐसे प्रश्न (ओं) तैयार करेगा और तदनुसार कानून के अनुसार अंततः बनाए गए प्रश्न (ओं) पर अपील की सुनवाई करेगा।

डी.

ई.

38. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपीलों में शामिल विवाद के गुण-दोष पर अपना दिमाग नहीं लगाया है, बल्कि केवल दूसरी अपील का निर्णय लेने के तरीके में देखी गई दुर्बलता के कारण मामले को रिमांड पर लेने के लिए एक राय बनाई है।इसलिए, उच्च न्यायालय इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित दूसरी अपील पर निर्णय लेगा।

एफ.

39. चूंकि मामला काफी पुराना है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस फैसले की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर दूसरी अपील पर शीघ्रता से निर्णय ले।

जी.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.